न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–02, जयपुर महानगर–प्रथम

पीठासीन अधिकारी : **सुषमा शर्मा,**
आर.जे.एस.(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सीआईएस नं0 : 1140/2026
सीएनआर नंबर : RJJM010189772026

सूजल मोटवानी पुत्र श्री भांगचंद मोटवानी, आयु 22 वर्ष, निवासी 263/500, सेक्टर 26, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

..... प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक

..... अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0–72/2026 पुलिस थाना महेश नगर जयपुर दक्षिण
अपराध अन्तर्गत धारा–115(2), 126(2), 117(3), 109, 189(4), 191(3) भारतीय न्याय संहिता

उपस्थिति :–
1 श्री गिरिश खण्डेलवाल, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी।
2 श्री मनीष कुमार गुप्ता, विद्वान अपर लोक अभियोजक वास्ते राज. राज्य।

आदेश **दिनांकः 24.06.2026**

1. प्रार्थी की ओर से उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर–प्रथम के समक्ष प्रस्तुत किया, जो विधिवत निस्तारण हेतु अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से हैं कि परिवादी धीरज शर्मा द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि दिनांक 02.02.2026 की रात्रि 12.00 बजे बाद 03.02.2026 लगते ही 12 बजकर 30 मिनट के आस पास वह अपनी ड्यूटी समाप्त कर टू हाई क्लब जीटी से अपने रूम की तरफ अपनी मोटरसाईकिल बुलेट से जा रहा था। अर्जुन नगर फाटक से त्रिवेणी नगर पुलिया के बीच कुछ लोगों ने पूर्व नियोजित योजना के तहत संगठित गिरोह के रूप में अपनी गाडियों से उसकी मोटरसाईकिल को अचानक रोक लिया। सूजल मोटवानी गाडी से उतरकर उसके पास आया और उसने पिस्टल निकालकर उसके पेट पर लगा दी। तुरन्त बाद युवराज यश शर्मा तथा उनके अन्य साथी भी गाडियों से उतरकर उसके पास आ गए तथा उसे जान से मारने की नियत से हमला शुरू कर दिया। कुछ आरोपियों के हाथ में पंजी रूपी हथियार एवं लोहे के रोड थे कुछ आरोपियों के हाथों में तलवार एवं कुल्हाडी जैसे हथियार थे सभी ने एक साथ मिलकर उसके सिर व शरीर पर ताबडतोड वार किए। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है। आरोपियों ने उसे मृत अवस्था में समझकर वहीं छोड दिया और मौके से फरार हो गए। घटना में प्रयुक्त लाई गई कुल्हाडी मौके पर छोडकर भाग गए। पूरी घटना में तीन वाहन शामिल थे। जिसमें दो स्विफ्ट व एक स्विफ्ट डिजायर कार थी। जिसपर पुलिस थाना महेश नगर, जयपुर द्वारा एफआईआर संख्या 72/2026 अंतर्गत धारा 115(2), 126(2), 191(3), 189(2) भारतीय न्याय संहिता में दर्ज किया गया। दौराने अनुसंधान प्रार्थी द्वारा प्रकरण में गिरफतारी की आशंका के चलते यह अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया गया है।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई एवं केस डायरी तलब कर उसका अवलोकन किया गया।

4. बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए यह निवेदन रहा है कि प्रार्थी निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त सम्मानीय नागरिक है। अगर प्रार्थी को जेल भेजा गया या झूठे मुकदमों में फंसाया गया तो प्रार्थी का भविष्य खराब हो जावेगा। प्रार्थी पूर्व में किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य में शामिल नहीं रहा है। प्रार्थी से कोई बरामदगी शेष नहीं है। प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को बरगलाने, धमकाने एवं अन्य प्रकार से मिलीभगत करने की कतई गुंजाईश नहीं है। प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार नियम शर्तों का पालन करने व अनुसंधान में सहयोग करने हेतु तैयार है। उक्त कथन करते हुए प्रार्थी को अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अपर लोक अभियोजक ने निवेदन किया है कि प्रकरण में प्रार्थी पर अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी को जान से मारने के आशय से हमला करने के संबंध में धारा– 115(2), 126(2), 117(3), 109, 189(4), 191(3) भारतीय न्याय संहिता के गंभीर आरोप हैं। प्रकरण अभी अनुसंधानाधीन है। उक्त कथन करते हुए प्रार्थी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एकल पीठ आपराधिक विविध जमानत आवेदन क्रमांक 13513/2020 जुगल बनाम राजस्थान राज्य के मामले में प्रतिपादित न्यायिक मत के निर्देशानुसार अभियोजन पक्ष द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के आपराधिक रिकार्ड बाबत प्रस्तुत विवरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व हस्तगत प्रकरण के अतिरिक्त अन्य आपराधिक प्रकरण पंजीबद्व होने से संबंधित निम्न रिपोर्ट पेश की गई है:–

क्रम संख्या	मुकदमा नं0	पुलिस थाना	धारा	नतीजा
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

7. उभय पक्ष की बहस के परिप्रेक्ष्य में केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

8. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन कहानी के अनुसार प्रार्थी पर अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर संगठित होकर गंभीर एवं धारदार हथियारों से लैस होकर परिवादी पर जानलेवा हमला कर गंभीर चोटें कारित करने के धारा– 115(2), 126(2), 117(3), 109, 189(4), 191(3) भारतीय न्याय संहिता के गंभीर आरोप हैं। प्रकरण अभी अनुसंधानाधीन है। प्रार्थी/अभियुक्त को मजरूब द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद किया गया है। अनुसंधान पत्रावली में संलग्न फोटोग्राफ्स एवं मजरूब के चोट प्रतिवेदन के अवलोकन से मजरूब के गंभीर एवं प्राण घातक चोटें विद्यमान है। प्रकरण में सीसीटीवी फुटेज की पैन ड्राईव भी संलग्न है। अभियुक्त से बरामदगी की जानी शेष है। इस स्तर पर प्रार्थी के निर्दोष होने व मिथ्या संलिप्तता की कोई उपधारणा नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त प्रकरण में प्रार्थी को अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने से प्रकरण में प्राप्त हो सकने वाले साक्ष्य व सूत्र के नष्ट होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों के मद्देनजर इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम

जमानत का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

: : आदेश : :

9. अतः प्रार्थी सूजल मोटवानी पुत्र श्री भांगचंद मोटवानी, आयु 22 वर्ष, निवासी 263/500, सेक्टर 26, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(सुषमा शर्मा)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–2,
जयपुर महानगर प्रथम।

10. आदेश आज दिनांक 24.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया ।

(सुषमा शर्मा)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–2,
जयपुर महानगर प्रथम।

SHRIKRISHAN SHARMA

Steno Gr. III
"Authenticated document"
Digitally signed by SHRIKRISHAN SHARMA
Date: 2026.06.24 13:11:42 +0530